<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टीए/810/2006/टोंक</u>

1– श्री रामकरण पुत्र श्री भूरा जाति बैरवा, निवासी पीपल्या तहसील मालपुरा जिला टोंक।
2– श्री चन्दा पुत्र श्री भूरा जाति बैरवा निवासी पीपल्या तहसील मालपुरा जिला टोंक।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– श्री रामदेवा पुत्र भूरा पि. मु. गणेश बैरवा, निवासी पीपल्या तहसील मालपुरा जिला टोंक।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक।

....प्रत्यर्थीगण

<u>खण्ड पीठ</u>
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

<u>उपस्थित</u>
श्री हगामीलाल चौधरी, अभिभाषक अपीलार्थीगण

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 23.9.2025

1. यह अपील याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–224 सपठित धारा 221 के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16–01–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा वादपत्र में उल्लेखित विवादित भूमि वाके ग्राम पीपल्या तहसील मालपुरा हेतु उपखण्ड अधिकारी मालपुरा न्यायालय में बंटवारे का दावा पेश कर भूमि भूरा के तीनों पुत्रों प्रत्यर्थी संख्या 1 तथा अपीलार्थीगण के नाम

दर्ज रिकॉर्ड होकर तीनों का प्रत्येक हिस्सा 1/3 होने तथा प्रत्यर्थी वादी का अपने हिस्से का विधिवत तकासमा करवाया जाने बाबत प्रस्तत किया गया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। विचारण न्यायालय ने दावा तथा जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम करते हुये बाद साक्ष्य व सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 31–12–2002 द्वारा प्रकरण प्रारम्भिक डिक्री करते हुये कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने उपरान्त निर्णय दिनांक 26–4–2003 के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 16–1–2006 के द्वारा अपील खारिज दी, इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. प्रत्यर्थी संख्या 1 न्यायालय में अनुपस्थित रहा। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादी अप्रार्थी संख्या 1 रामदेवा बाल्यावस्था में ही अपने चाचा गणेश के गोद चला गया था। वादी का गणेश के गोद चले जाने की वजह से उसका अपने प्राकृतिक पिता भूरा की संपत्ति व कृषि आराजीयात में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा। उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रामदेवा के पक्ष में भूरा की खातेदारी की आराजीयात के तकासमे का दावा डिक्री करने में त्रुटि की है। अपीलार्थीगण भूरा के पुत्र हैं इसलिए भूरा की कृषि आराजीयात में केवल अपीलार्थीगण का ही हक अधिकार निहित होकर वादी रामदेवा का भूरा

की भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। भूरा के फौत होने के बाद उसके फौतगी नामांतकरण में त्रुटिवश वादी रामदेवा का नाम भी लिख देने से भूरा की खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादी का कानूनन कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। वादी रामदेवा का गणेश के गोद जाने की पुष्टि राजस्व अभिलेख जमाबंदी व मौखिक साक्ष्यों से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व दस्तावेजी सबूतों का सही रूप से विवेचन न कर वास्तविक तथ्यों की अनदेखी करते हुए तनकी संख्या 4 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध व बहक वादी निर्णीत कर अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध व रामदेवा के पक्ष में दावा डिक्री करते हुए निर्णय पारित किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी रामदेवा का गणेश के गोद जाने का तथ्य साक्ष्यों से साबित न होना मानने में तथ्यों की अनदेखी कर त्रुटिपूर्ण निर्णय द्वारा अपील खारिज की गई है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व पत्रावलियों का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी रामदेवा द्वारा विचारण न्यायालय में विवादित भूमि उनके पिता भूरा की होकर वादी तथा दोनों प्रतिवादीगण रामकरण व चन्द्रा का इस पैतृक भूमि में बराबर–बराबर हिस्सा व हक अधिकार होना जाहिर कर अपने 1/3 हिस्से का पृथक तकासमा करवाने का दावा प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण का जवाब दावे में मुख्य अस्वीकारोक्ति पक्ष यह रहा कि रामदेवा भूरा के जीवनकाल में ही अपने चाचा गणेश के गोद चला गया था, जिससे उसका अपने प्राकृतिक पिता भूरा की भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है, अतः दावा

खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक कायम कर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेते हुये तनकीवार विवेचन कर निर्णय दिनांक 31–12–2002 को प्रकरण प्रारिम्भक डिक्री किया गया तथा कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने उपरान्त दिनांक 26–04–2003 निर्णय द्वारा दावा अंतिम डिक्री कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा दायर प्रथम अपील में अपीलीय न्यायायल में साक्ष्यों को गुणावगुण पर विवेचित कर निर्णय दिनांक 16–01–2006 द्वारा अपील खारिज की है। अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में रामदेवा का गणेश के गोद जाने का तथ्य उल्लेखित किया गया है लेकिन न तो उनके द्वारा जवाब दावे में गोद जाने बाबत विस्तृत व विशिष्ठ तथ्य बताये गये और न ही गोद जाने के समर्थन में पुष्ठ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। विचारण न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विरचित तनकी संख्या 4 को प्रतिवादीगण का साबित करने में असफल रहना माना है तथा मातहत अपीलीय न्यायालय द्वारा भी साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुये यही विनिश्चय लिया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा जवाब दावे में वादी के भूमि में 1/3 हिस्से को चुनौती स्वरूप काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया गया है और न ही भूमि में हक हिस्से निर्धारण करने के विचारण न्यायालय के प्रारम्भिक डिक्री निर्णय को चुनौती दी गई है। दोनों मातहत न्यायालयों ने तथ्यों व साक्ष्यों के गुणावगुण पर विवेचन कर वादी की रिलीफ साबित होना मानते हुये अपीलार्थीगण का अपने क्लेम को साबित करने में असफल होना माना है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती विनिश्चय के जरिये दावे/अपील को निर्णीत किया गया है, जिनमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई क्षेत्राधिकार निर्वहन, तथ्यपरक अथवा विधिक त्रुटि होना नहीं मानते हैं। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होकर निरस्तनीय है।

8– अतः विवेचन उपरान्त निर्णय स्वरूप हस्तगत अपील सारहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। मातहत न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ0 शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य